

भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल

चर्चा में क्यों?

भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक बाद भी, सरकारी अधिकारी, अनेक अदालती आदेशों और चेतावनियों के बावजूद, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के परिसर में **मौजूद सैकड़ों टन जहरीले अपशषिट** का सुरक्षित नपिटान करने में **वफिल** रहे हैं।

मुख्य बदि

■ ऐतहासकि संदरभ और नपिटान चुनौतियाँ:

- भोपाल गैस त्रासदी इतहास की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी, जो 2-3 दसिंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में घटति हुई थी।
 - इससे लोगों और जानवरों को अत्यधिक जहरीली गैस **मथाइल आइसोसाइनेट (MIC)** के संपर्क में लाया गया, जिससे तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मौतें हुईं।
- वर्ष 1969 और 1984 के बीच **कीटनाशक उत्पादन** के दौरान उत्पन्न वषिकृत अपशषिट को साइट पर ही फेंक दिया गया, जिससे खतरनाक प्रथाओं और नयामक लापरवाही के कारण संदूषण और भी खराब हो गया।
- वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नयितरण बोर्ड ने अपशषिट एकत्र कथिा, जिसका एक भाग जला दिया गया तथा 337 मीटरकि टन अपशषिट को एक शेड में संग्रहति कथिा गया।
 - 2015 में, **केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड** ने परीक्षण के आधार पर 10 मीटरकि टन को जला दिया तथा इसके बाद इसके नपिटान की सफारशि की, जो नहीं हुआ।

■ सरकारी वतितपोषण और वषिकृत अपशषिट नपिटान:

- केंद्र सरकार ने 2005 से यूनियन कार्बाइड परिसर में संग्रहीत 337 मीटरकि टन वषिकृत अपशषिट के नपिटान के लयि मध्य प्रदेश सरकार को 126 करोड़ रुपए जारी कथिा।
- **2010 के एक अध्ययन से पता चला कि** इस स्थल पर 11 लाख टन दूषति मुदा, एक टन पारा और लगभग 150 टन भूमगित अपशषिट मौजूद है तथा इस अपशषिट के नपिटान की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।
 - रपिर्ट में कहा गया कि वर्ष 2005 में अपशषिट का संग्रहण अधूरा था तथा सुधार के लयिदफनाए गए वषिकृत अपशषिट की खुदाई की अनुशंसा की गई।
- **प्रशासनकि बाधाओं** के कारण 337 मीटरकि टन अपशषिट का नपिटान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

■ भूजल प्रदूषण:

- अध्ययनों से पता चला है कि फैंकटरी के नकिट के **रहायशी इलाकों** में **भूजल भारी धातुओं और जहरीले पदार्थों** से दूषति है, जिससे **कैंसर** और स्वास्थ्य जोखमि बढ़ रहे हैं। वषिषज्ज बरसात के मौसम में और अधिक प्रदूषण की चेतावनी देते हैं।
 - सरकार ने हैंडपंप और ट्यूबवेल को सील कर दिया है और फैंकटरी के आस-पास के 42 इलाकों में सुरक्षित पेयजल का वतितरण बढ़ा दिया है। हालाँकि, नविासी गैर-पीने के उद्देश्यों के लयि दूषति पानी का उपयोग करना जारी रखते हैं।
- इन उपायों के बावजूद, **भूजल प्रदूषण** बढ़ता जा रहा है, जिससे गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी नए पीड़ति सामने आ रहे हैं।
 - स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में वषिकृत पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क के कारण होने वाली गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।

■ न्यायकि और नयामक नरिीक्षण:

- **राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT)** ने सरकार की नषिक्रयिता की आलोचना की तथा जल नकियाँ को प्रदूषति करने में रसाव की भूमकिा पर जोर दिया।
 - मार्च 2022 में **छह महीने के भीतर अपशषिट नपिटान का आदेश दिया गया था**, लेकिन नरिदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है।
- भूजल प्रदूषण की शकिायतों के बाद, **सर्वोच्च न्यायालय** ने राज्य को सुरक्षित जल तक पहुँच बढ़ाने और प्रदूषण की समस्या से नपिटने का नरिदेश दिया।

IMPACT OF GAS EXPOSURE

➤ Younger population born after gas leak equally vulnerable



➤ Those between 31 and 60 (which includes those born after the gas leak of 1984) account for 80% of the suffering



59% Gas affected women suffered illnesses

Those under 40 years of age and exposed to gas leak, were diagnosed with twice as many illness as the non-gas leak exposed

● Illness includes cardiac, cancer, respiratory, kidney, TB, typhoid and among others



● Twice as many 'gas affected' are dying of cancers, respiratory illnesses -- compared with normal population



● Kidney failure rate is 3 times, compared with non-gas affected



Key Demands

➤ To set up a system of registration of deaths of people with direct or indirect exposure

➤ Over 5,000 gas victims are cancer patients. Review of the work of the Population Based Cancer Registry in Bhopal that claims that there is no association between gas exposure and cancer

➤ Review the system of health-care in place for gas victims

➤ Urgently review drug utilization in the care of gas exposed persons to avoid kidney damage

